

झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
पंचम-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 29.02.2016 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र०सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्रीमती निर्मला देवी स०वि०स०	<p>रामगढ़ जिलान्तर्गत प्रखण्ड पतरातू के पी० टी० पी० एस० सर्किट हाऊस से सौब्दा डी तक पथ का निर्माण क्लासिक कॉल कंस्ट्रक्शन के द्वारा कराया जा रहा है। जिसमें घटिया निर्माण समाची का उपयोग किया जा रहा है, गुणवत्ता में भारी अनियमितता बरती जा रही है, नाली निर्माण में सिर्फ खानापूर्ति किया जा रहा है, जबकि नया नाली निर्माण किया जाना है। तथा अधिकारियों को संवेदक के द्वारा कमीशन देकर कार्य गुणवत्ता पूर्ण नहीं किया जा रहा है।</p> <p>अतः पथ की जाँच विधानसभा कमिटि द्वारा कराने के साथ संवेदक को काली सूची में डालते हुए अधिकारियों पर उचित कार्रवाई करते हुए मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहती हूँ।</p>	पथ निर्माण
02-	सर्वश्री बिरंची नारायण, डॉ० जीतू चरण राम एवं श्री रामकुमार पाहन स०वि०स०	<p>झारखण्ड की राजधानी रौची की बढ़ती आबादी के साथ-साथ यहाँ वाहनों का दबाव भी बढ़ता जा रहा है, जिससे शहर के मुख्य मार्गों पर जाम की समस्या बनी रहती है तथा आवागमन दूभर हो जाता है। राजधानी- रौची का रातू रोड, कांठा टोली चौक, महात्मा गांधी पथ (मेन रोड) जाम की समस्या से अधिकतर ग्रस्त रहते हैं, जिससे आम लोगों को व्यापक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।</p>	नगर विकास

क०प०३०

01.	02.	03.	04.
		<p>स्कूलों की शुरुआत, कार्यालयों की कार्यवाधि के आरम्भ और अन्त होने के समय इन इलाकों से सफर करना अत्यन्त मुश्किल हो जाता है। कांटा ठोली में बस स्टैण्ड होने तथा बरही-राँची पथ से होकर जमशेदपुर जाने वाले वाहनों, रातू रोड होकर डाल्टेनगंज, गढ़वा, लातेहार होते हुए उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की ओर जाने वाले माल वाहक तथा यात्री वाहक वाहनों की लम्बी कतार के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है।</p> <p>अतएव वर्णित समस्याओं के समाधान के निमित्त राँची के मेन रोड स्थित सुजाता-चौक सहित कांटा ठोली और रातू रोड में फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।</p>	-80
03-	श्री विदेश सिंह एवं श्री प्रदीप यादव स०वि०स०	<p>श्री शैलेन्द्र प्रसाद सिंह लेखा सहायक, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम दिनांक- 30 जून, 2013 को सेवानिवृत हो गए। उनके सेवाकाल में उनसे कनीय कर्मियों को लेखापाल के पद पर प्रोन्नति दे दी गयी, जबकि श्री सिंह के विषय में निगम के कर्मिक पदाधिकारी श्री सतीस कुमार सिन्हा द्वारा कहा गया कि उनकी चारित्री विवरणी निगम कार्यालय को अप्राप्त है। उल्लेखनीय है कि श्री सिंह की वर्णित चारित्री विवरणी महाप्रबन्धक सठ मुख्य अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र जमशेदपुर के पत्रांक- 117, दिनांक- 15 जनवरी, 2013 द्वारा निगम कार्यालय को भेज दी गयी थी। 2013 द्वारा निगम कार्यालय को प्रभाव से काल्पनिक प्रोन्नति दी गयी। इस प्रकार कार्मिक पदाधिकारी श्री सतीस कुमार सिन्हा ने श्री सिंह को उनके सेवा काल में जानबूझ कर प्रोन्नति का लाभ न देकर उन्हें प्रताङ्कित करने का कार्य किया है।</p> <p>अतएव जानबूझ कर श्री सिंह को प्रोन्नति न देकर तथा उनसे कनीय कर्मियों को प्रोन्नति देकर श्री सिंह को प्रताङ्कित करने वाले कार्मिक पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई तथा श्री सिंह को देय तिथि से प्रोन्नति का लाभ देते हुए देय वेतनादि के भुगतान हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।</p>	ऊर्जा सेवा का उत्तराधीन सरकार का ध्यान आकृष्ट करता है।

-::3:-

01.	02.	03.	04.
04-	श्री अमित कुमार स०वि०स०	<p>राँची जिलान्वत्तर्गत सिल्ली विधानसभा के मुरी में हिण्डालकों फैक्ट्री द्वारा सरना स्थल के साथ-साथ निजी एवं सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। इसके साथ ही हिण्डालकों द्वारा वर्ष 2010 से CSR फंड के तहत कोई कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि इसके द्वारा केमिकल बहाकर आस-पास के क्षेत्र में प्रदूषण फैलाया जा रहा है।</p> <p>अतः इस महत्वपूर्ण विषय पर जाँच करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ।</p>	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार

राँची,
दिनांक- 29 फरवरी, 2016 ई०।

बिनय कुमार दिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-ध्या० एवं अना०प्र०-०१/२०१६-...१६९३....वि० स०, राँची, दिनांक- २७/२/१६

प्रति:- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा० राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च व्यायालय राँची/ पथ निर्माण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रिय॒३४
२४/२/१६
(शिशिर कुमार झा)
संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-ध्या० एवं अना०प्र०-०१/२०१६-...१६९३....वि० स०, राँची, दिनांक- २७/२/१६

प्रति:- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

प्रिय॒३४
२४/२/१६
संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

24/2/16